



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940

No. 614]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सा. का. नि. 835(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा कोचीन पत्तन न्यास के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. स. पी. आर. -12012/4/2017- पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कोचीन पत्तन न्यास

कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में एतद्द्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभ – (1) इन विनियमों को कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित केंद्र सरकार का अनुमोदन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 9 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

9. “मौजूदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती की पात्रता – जब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों का विज्ञापन किया जाता है तो किसी महापत्तन न्यास बोर्ड के निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों में ऊपरी आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक न हो।”

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 862 (ई) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 849 (ई) दि. 25 अक्टूबर 2014
- (ii) सा.का.नि. सं. 604 (ई) दि. 31 जुलाई 2015
- (iii) सा.का.नि. सं. 644 (ई) दि. 30 जून 2016
- (iv) सा.का.नि. सं. 649 (ई) दि. 01 जुलाई 2016
- (v) सा.का.नि. सं. 1126 (ई) दि. 09 दिसम्बर 2016
- (vi) सा.का.नि. सं. 1151 (ई) दि. 16 दिसम्बर 2016
- (vii) सा.का.नि. सं. 211 (ई) दि. 09 मार्च 2017
- (viii) सा.का.नि. सं. 306 (ई) दि. 30 मार्च 2017
- (ix) सा.का.नि. सं. 1435 (ई) दि. 20 नवम्बर 2017

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 835(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018, made by the Board of Trustees for the Cochin Port Trust and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No.PR-12012/4/2017-PE-I]
Kailash Kumar Aggarwal, Jt. Secy.

SCHEDULE

COCHIN PORT TRUST

Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Cochin Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. Short title and commencement:—(1) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018;

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, for regulation 9 the following regulation shall be substituted, namely:-

9.“Eligibility of Existing Employees for direct recruitment-When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees of the Board of any Major Port Trust possessing the prescribed qualifications and experience may also apply: Provided that the age limit in such cases shall not exceed fifty five years”.

Foot Note: The Principal regulations- Cochin Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 were published in the Gazette of India *vide* GSR No.862 (E) dated 28/10/2010 and was subsequently amended vide:-

- (i) GSR No.849 (E) dated 25/10/2014
- (ii) GSR No. 604 (E) dated 31/07/2015
- (iii) GSR No. 644 (E) dated 30/06/2016
- (iv) GSR No. 649 (E) dated 01/07/2016
- (v) GSR No.1126 (E) dated 09/12/2016
- (vi) GSR No.1151 (E) dated 16/12/2016
- (vii) GSR No.211 (E) dated 09/03/2017
- (viii) GSR No.306 (E) dated 30/03/2017
- (ix) GSR No.1435 (E) dated 20/11/2017